

झारखण्ड

ब्रण्ड सरकार

खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध)-

3 (भाग-2)-844

नरेश प्रसाद केवट
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

महानिदेशक,
पोषण मिशन,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

राँची, दिनांक:- 16.12.2021

प्रसंग:-

आयोग का पत्रांक-651 दिनांक-16.09.2021।

Pg-132/C

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-16 (6-च) के आलोक में आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन/आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था:-

1. झारखण्ड राज्य में कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) एवं उपलब्ध बेडों की जिलावार संख्या।
2. कुल कुपोषित बच्चों की संख्या।
3. कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) में दिए जाने वाले पोषाहार की विवरणी।
4. कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) की Occupancy rate:- (जिलावार)
5. कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) से माताओं को प्राप्त होने वाली राशि के भुगतान संबंधी विवरणी।
6. Covid-19 के दौरान संचालित किये गये कार्यक्रम/योजना से संबंधित विवरणी।

उपरोक्त प्रतिवेदन/आंकड़े आयोग को अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा

की जाय।

विश्वासभाजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।